



भारतीय संघवाद की जटिलता

यह एडिटोरियल 23/06/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "India's Federalism" लेख पर आधारित है। यह भारतीय संघीय प्रणाली और संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

परिचय के लिये: [संघवाद](#), [राष्ट्रपति शासन](#), [राज्यपाल की भूमिका](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [संसद](#), [अंतरराज्यीय परिषद](#), [वित्त आयोग](#), [नीति आयोग](#)

मेन्स के लिये: संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, शक्तियों का हस्तांतरण, विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, राज्य सरकारों के समक्ष मुद्दे, भारत की संघीय भावना को पुनर्जीवित करने के लिये उपाय।

संघवाद (Federalism) सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों, जैसे केंद्र और राज्यों अथवा प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के समायोजन की अनुमति देता है।

भारतीय संघीय प्रणाली कुछ एकात्मक विशेषताओं (unitary features) के साथ एक संघीय प्रणाली (federal system) स्थापित करता है। इसे कभी-कभी अर्द्ध-संघीय प्रणाली (quasi-federal system) भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 'फ़ेडरेशन' और 'यूनियन' दोनों के तत्व शामिल होते हैं। संघीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधि, प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करता है। विधि शक्तियों को [संघ सूची](#), [राज्य सूची](#) और [समवर्ती सूची](#) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो संघ सरकार एवं राज्य सरकारों को प्रदत्त शक्तियों और उनके बीच साझा की गई शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। संघीय राजनीतिक शक्ति वितरण के कई तरीकों के साथ एक बहुस्तरीय या बहु-संस्तरीय संघ (multilevel or multilayered federation) की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

भारतीय संघवाद अपने संदर्भ में अद्वितीय है, क्योंकि यह ब्रिटिश शासन के तहत प्रचलित एकात्मक प्रणाली से स्वतंत्रता के बाद एक संघीय प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। भारतीय संघवाद को समय के साथ कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसे [करिबियासतों \(princely states\)](#) का एकीकरण, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, क्षेत्रीय आंदोलन एवं स्वायत्तता की मांग, केंद्र-राज्य संबंध एवं संघर्ष, राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) एवं संसाधन साझाकरण, सहकारी संघवाद (cooperative federalism), अंतर-राज्य समन्वय आदि।

संघीय प्रणालियों के विभिन्न प्रकार

- **'होल्डिंग टूगेदर फ़ेडरेशन' (Holding Together Federation):** इस प्रकार के संघ में संपूर्ण इकाई में विविधता को समायोजित करने के लिये विभिन्न घटक भागों के बीच शक्तियों को साझा किया जाता है। यहाँ शक्तियाँ आम तौर पर केंद्रीय सत्ता की ओर झुकी होती हैं। उदाहरण: भारत, स्पेन, बेलजियम।
- **'कमिंग टूगेदर फ़ेडरेशन' (Coming Together Federation):** इस प्रकार के संघ में स्वतंत्र राज्य एक बड़ी इकाई बनाने के लिये एक साथ आते हैं। यहाँ राज्यों को 'होल्डिंग टूगेदर फ़ेडरेशन' के रूप में गठित संघ की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्वित्जरलैंड।
- **असममिति संघ (Asymmetrical Federation):** इस प्रकार के संघ में कुछ घटक इकाइयों के पास ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारणों से अन्य की तुलना में अधिक शक्तियाँ या विशेष स्थिति होती है। उदाहरण: कनाडा (क्यूबेक), रूस (चेचन्या), इथियोपिया (टाइग्रे)।

संघ के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

▪ क्षेत्रवाद (Regionalism):

- भाषाई, जातीय, धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान पर आधारित क्षेत्रीय दलों और आंदोलनों के उदय ने भारत की राष्ट्रीय अखंडता एवं एकता के लिये चुनौती पेश की है।
- कुछ क्षेत्रों या समूहों ने अधिक स्वायत्तता, विशेष दर्जा या यहाँ तक कि भारतीय संघ से अलग होने की मांग की है।
 - उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, असम में बोडोलैंड की मांग आदि।

■ शक्तियों का वभाजन (Division of Powers):

- केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वभाजन स्पष्ट और संतुलित नहीं है।
- केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ एवं संसाधन हैं और वह राष्ट्रपतिशासन, राज्यपाल की भूमिका, केंद्रीय कानून आदि विभिन्न माध्यमों से उनके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्यों के पास अपने स्वयं के विकास और कल्याण नीतियों को आगे बढ़ाने के लिये सीमिति स्वायत्तता एवं वतित्तीय अवसर मौजूद हैं।
 - उदाहरण के लिये, वर्ष 2016 में संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर केंद्र द्वारा अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रपतिशासन लगा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया।

■ राजकोषीय संघवाद का अभाव (Absence of Fiscal Federalism):

- केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंध न्यायसंगत एवं पारदर्शी नहीं हैं। अधिकांश करों का संग्रह केंद्र द्वारा किया जाता है और वह अपने वविक या कुछ मानदंडों के अनुसार राज्यों को इसका वतितरण करता है।
- राज्य सहायता अनुदान, ऋण और अन्य हस्तांतरण के लिये केंद्र पर निर्भर होते हैं। राज्यों के पास कराधान शक्तियाँ और उधार लेने की क्षमताएँ सीमिति होती हैं।
 - उदाहरण के लिये, कई राज्यों ने जीएसटी कार्यान्वयन के कारण हुए राजस्व घाटे के लिये अपर्याप्त मुआवजे के संबंध में शिकायत की है।

■ इकाइयों का असमान प्रतिनिधित्व (Unequal Representation of Units):

- संसद और अन्य संघीय संस्थानों में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या, क्षेत्र या योगदान के अनुपात में नहीं है। कुछ राज्यों के अति प्रतिनिधित्व तो अन्य राज्यों के अल्प प्रतिनिधित्व की समस्या उत्पन्न हुई है।
 - उदाहरण के लिये, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं जबकि सिकिम में केवल एक लोकसभा सीट है। यह राष्ट्रीय निर्णयन और संसाधन आवंटन में विभिन्न राज्यों की आवाज़ और असर को प्रभावित करता है।

■ केंद्रीकृत संशोधन शक्ति (Centralized Amendment Power):

- संवधान में संशोधन करने की शक्ति विशेष बहुमत वाली संसद में नहिति है। राज्यों को प्रभावित करने वाले कुछ मामलों को छोड़कर संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की कोई भूमिका या मत नहीं है।
 - उदाहरण के लिये, अनुच्छेद 370 को नरिसूत करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में वभाजित करने का केंद्र का निर्णय राज्य सरकार या अन्य हतिधारकों से किसी परामर्श के बिना किया गया था।
 - आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य के निर्माण का आंध्र प्रदेश ने वरिोध किया था और इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन एवं हिसा की घटनाएँ हुईं।

संघवाद को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों?

- वविधिता और बहुलता का संरक्षण:
 - केंद्र या प्रमुख समूहों की ओर से बढ़ते समरूपीकरण और आत्मसातीकरण दबाव (homogenization and assimilation pressures) के समक्ष भारत के समाज, संस्कृति, भाषा, धर्म आदि की वविधिता एवं बहुलता (diversity and pluralism) की रक्षा और संरक्षण के लिये संघवाद आवश्यक है।
- स्वायत्तता और अधिकारों की सुरक्षा:
 - बढ़ते केंद्रीकरण और केंद्र या अन्य बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप की स्थिति में राज्यों और अन्य उप-राष्ट्रीय इकाइयों की स्वायत्तता एवं अधिकारों की सुरक्षा एवं संवृद्धि के लिये संघवाद आवश्यक है।
- शासन की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार:
 - राज्यों एवं अन्य उप-राष्ट्रीय इकाइयों को उनकी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाने तथा उसका प्रवर्तन करने के लिये सशक्त और सक्षम बनाकर विभिन्न स्तरों पर शासन एवंसेवा वतितरण की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार लाने और उनकी सुनिश्चिता के लिये संघवाद आवश्यक है।
- संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देना:
 - सरकार के विभिन्न स्तरों या इकाइयों के बीच संसाधनों और अवसरों का समान एवं पारदर्शी वतितरण सुनिश्चित करके भारत के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के संतुलित और समावेशी विकास एवं कल्याण को बढ़ावा देने तथा इसकी प्राप्त के लिये संघवाद आवश्यक है।
- सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देना:
 - टकराव और दबाव के बजाय संवाद एवं परामर्श के माध्यम से वविदों और संघर्षों को हल करके सरकार के विभिन्न स्तरों या इकाइयों के बीच सद्भाव एवं सहयोग को बढ़ावा देने तथा इसे बनाए रखने के लिये संघवाद आवश्यक है।

कौन-सी संस्थाएँ संघवाद को बढ़ावा दे रही हैं?

- सर्वोच्च न्यायालय (SCJ):
 - यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और संवधान के संरक्षक एवं व्याख्याकार के रूप में कार्य करती है।

- इसके पास केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवादों पर नरिणय लेने की शक्त है।
- **अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council):**
 - यह सामान्य हति एवं चति के मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिये संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापति एक संविधानिक निकाय है।
 - इसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्रशासति प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामति छह केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।
- **वति आयोग (FC):**
 - यह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वतिरण की अनुशंसा करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापति एक संविधानिक निकाय है।
 - यह राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने और ज़रूरतमंद राज्यों को सहायता अनुदान देने के उपाय भी सुझाता है।
- **नीति आयोग (NITI Aayog):**
 - इसकी स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग (Planning Commission) के स्थान पर की गई थी।
 - यह आर्थिक और सामाजिक विकास के मामलों पर केंद्र और राज्यों के लिये एक थकि टैक एवं सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
 - यह नीति निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों को शामिल करके सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा देता है।
 - इसमें एक अध्यक्ष (प्रधानमंत्री), एक उपाध्यक्ष, एक कार्यकारी अधिकारी/सीईओ, पूरणकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य (सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्रशासति प्रदेशों के उपराज्यपाल) और विशेष आमंत्रति सदस्य शामिल होते हैं।

भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने के लिये आगे की राह

- **शक्तियों और संसाधनों का हस्तांतरण बढ़ाना:**
 - संविधानिक सूचियों को संशोधति करके, केंद्रीय करों में राज्यों की हसिसेदारी बढ़ाकर, राज्यों को अधिक वतितीय स्वायत्तता एवं लचीलापन प्रदान करने जैसे कदमों के माध्यम से राज्यों और स्थानीय निकायों की ओर शक्तियों एवं संसाधनों के हस्तांतरण को बढ़ाकर संघवाद को सुदृढ़ कया जा सकता है।
- **बेहतर प्रतनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चति करना:**
 - राष्ट्रीय नरिणय प्रक्रया में राज्यों का अधिक प्रतनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चति करके संघवाद को सुदृढ़ कया जा सकता है। इसके लिये उन्हें राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में संलग्न करके, उन्हें संघीय संस्थानों (जैसे जीएसटी परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, नीति आयोग आदि) में अधिक आवाज़ एवं वोटिंग देकर सबल कया जा सकता है।
- **सहकारी और प्रतसिपर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देना:**
 - राज्यों के बीच सहकारी एवं प्रतसिपर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देकर संघवाद को सुदृढ़ कया जा सकता है। इसके लिये उन्हें साझा मुद्दों एवं चुनौतियों पर साथ मलिकर कार्य करने हेतु प्रोत्साहति करने, उनके बीच सर्वोत्तम प्रथाओं एवं नवाचारों को बढ़ावा देने, बेहतर प्रदर्शन एवं परिणामों के लिये वतितीय प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देने जैसे कदम उठाये जा सकते हैं।
- **क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को संबोधति करना:**
 - पछिड़े और वंचति क्षेत्रों या समूहों को विशेष सहायता एवं समर्थन प्रदान करने, वभिनिन क्षेत्रों या समूहों के बीच संसाधनों एवं अवसरों का उचति एवं परयाप्त आवंटन सुनिश्चति करने, क्षेत्रीय विकास परिषदों या प्राधिकरणों का निर्माण करने के रूप में क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को संबोधति कर संघवाद को सुदृढ़ कया जा सकता है।
- **संघीय सिद्धांतों एवं भावना का सम्मान करना:**
 - संघवाद से संबधति संविधानिक प्रावधानों एवं मानदंडों का पालन करने, केंद्र या राज्यों द्वारा मनमानी या एकतरफा कार्रवाई या हस्तक्षेप से बचने, संवाद या न्यायिक तंत्र के माध्यम से विवादों या संघर्षों को हल करने आदि के रूप में सभी मामलों में संघीय सिद्धांतों एवं भावना का सम्मान करके संघवाद को सुदृढ़ कया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न: संघवाद की प्राप्ति में नहिति चुनौतियों एवं अवसरों और अंतर-सरकारी संबंधों के लिये इसके नहितार्थ की वविचना कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

2017-2018

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की वशिषता है? (2017)

- भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है।
- केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वभिजन कया गया है।
- संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतनिधित्व दया गया है।
- यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है।

उत्तर: (d)

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कयिह एक प्रयोग है। (2017)

- (a) संघवाद का
- (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
- (c) प्रशासनिक प्रत्यायोजन का
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)

?????

प्रश्न. यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद (फ़ैडरलज्म) सशक्त केन्द्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के वरिध में है। चर्चा कीजिये। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/complexity-of-indian-federalism>

